कार्यालय :– जिला एवं सत्र न्यायाधीश,होशंगाबाद (म0प्र0)

//आदेश//

क्र0 क/दो–11–17/19 होशंगाबाद,दिनांक 15/11/19

मैं चन्द्रेश कुमार खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद इस स्थापना पर मुख्यालय होशंगाबाद पर पदस्थ (1) श्री अभिनव कुमार जैन, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1, होशंगाबाद के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, होशंगाबाद की पदोन्नति हो जाने एवं अन्य पदस्थापना पर स्थानांतरण हो जाने तथा उनके स्थान पर अन्य किसी न्यायिक अधिकारी की पदस्थापना न होने से एवं (2) तहसील इटारसी में पदस्थ श्री देवेश उपाध्याय, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1, इटारसी के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश, इटारसी की पदोन्नति हो जाने एवं उनके स्थान पर अन्य किसी न्यायिक अधिकारी की पदस्थाना न होने से कार्यविभाजन आदेश 2019 में निम्नानुसार संशोधन स्थापित करता हूँ :–

1– पेज क्रमांक 4 की कंडिका 6 प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1, होशंगाबाद के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, होशंगाबाद को पूर्णतः विलोपित किया जाता है।

2– पेज क्रमांक 5 की कंडिका 7 द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1, होशंगाबाद को विलोपित करते हुये पुनः निम्नानुसार प्रतिस्थापित की जाती है :–

7	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1, होशंगाबाद **(वर्तमान पदस्थापना श्री विजय पाठक)**	तहसील बाबई, होशंगाबाद, एवं डोलरिया के वे ग्राम जो जनपद पंचायत होशंगाबाद के अंतर्गत आते हों।	1– नियमित व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन रू0 5,00,001/– से 1,00,00,000/– तक हो एवं उनसे संबंधित विविध एवं निष्पादन मामले। 2– पंचायत ऐक्ट के अंतर्गत सिविल तथा दांडिक पुनरीक्षण। 3– लघुवाद अधि0 1877 के अधीन मामले जिनका मूल्यांकन 500/– से अधिक न हो। 4– उत्तराधिकार अधि0 1925 के भाग 10 के अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के मामले। 5– नियमित व्यवहार वाद तथा लघुवाद मामलों से उत्पन्न विविध न्यायिक वाद तथा निष्पादन मामले। 6– न0पा0 अधि0 1961 की धारा 139 तथा 172 के अंतर्गत तहसील होशंगाबाद से उत्पन्न अपीलें। 7– ऐसे समस्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1, होशंगाबाद के न्यायालय जो पूर्व में कार्यरत थे एवं वर्तमान में कार्यरत नहीं हैं। उन समस्त न्यायालयों द्वारा निराकृत समस्त प्रकार के सिविल प्रकरणों से उद्भूत समस्त प्रकरणों एवं अपीलीय न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों का निराकरण। 8– प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1, होशंगाबाद के न्यायालय द्वारा निराकृत समस्त प्रकार के सिविल प्रकरणों से उदभूत समस्त प्रकरणों एवं अपीलीय न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों का निराकरण। 9– नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 139 तथा 172 के अंतर्गत तहसील होशंगाबाद, बाबई एवं तहसील डोलरिया के वे ग्राम जो जनपद पंचायत होशंगाबाद के क्षेत्राधिकार में आते हैं, से उत्पन्न अपीलें। 10– अन्य कार्य जो समय–समय पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा निराकरण हेतु सौपा जावे।

.4

3– पेज क्रमांक 7 की कंडिका 11 तृतीय अपर जिला न्यायाधीश, इटारसी के पश्चात कंडिका **'11–अ'** निम्नानुसार प्रतिस्थापित की जाती है :–

'11—अ'	प्रथम अपर जिला न्यायाधीश इटारसी **(वर्तमान पदस्थापना श्री देवेश उपाध्याय)**	——	1— जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरणों का निराकरण। 2— स्वयं के न्यायालय से उद्भूत होने विविध सिविल वाद एवं प्रर्वतन आवेदन पत्र तथा अन्य समस्त विविध मामले।

3— पेज क्रमांक 8 की कंडिका 12 प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1, इटारसी को विलोपित करते हुये पुनः निम्नानुसार प्रतिस्थापित की जाती है :—

12	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1 इटारसी **(वर्तमान पदस्थापना श्रीमती स्वाति निवेश जायसवाल)**	तहसील इटारसी	1— नियमित व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन रू 5,00,001 से 1,00,00,000/—तक हो एवं उनसे संबंधित विविध एवं निष्पादन मामले। 2— नियमित व्यवहार वाद तथा लघुवाद मामलों से उत्पन्न विविध न्यायिक वाद तथा निष्पादन मामले। 3— अपीलीय न्यायालय से रिमांड होने वाले समस्त सिविल प्रकृति के प्रकरणों का निराकरण। 4— पंचायत एक्ट के अंतर्गत सिविल तथा दांडिक पुनरीक्षण। 5— लघुवाद मामले जिनका मूल्यांकन 101/— से 500/— तक हो। 6— तह0इटारसी से उत्पन्न भारतीय उत्तराधिकार अधि0 1925 के भाग —10 के अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के मामले। 7— न.पा. अधि0 1961 की धारा 139 तथा 172 के अंतर्गत अपीलें। 8— ऐसे समस्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1, इटारसी के न्यायालय जो वर्तमान में कार्यरत नहीं हैं एवं पूर्व में कार्यरत थे। उन समस्त न्यायालयों द्वारा निराकृत समस्त प्रकार के सिविल/आपराधिक प्रकरणों से उदभूत समस्त प्रकरणों एवं अपीलीय न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों का निराकरण। 9— अन्य कार्य जो समय—समय पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा निराकरण हेतु सौंपा जावे।

4— पेज क्रमांक 8 की कंडिका 13 व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1, इटारसी के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश, इटारसी (श्री देवेश उपाध्याय) पूर्णतः विलोपित किया जाता है।

5— पेज क्रमांक 8 की कंडिका 15 द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, (सुश्री कृतिका सिंह) इटारसी के समक्ष कॉलम 4 में निम्नानुसार कंडिकायें प्रतिस्थापित की जाती हैं :—

15	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 इटारसी **(वर्तमान पदस्थापना सुश्री कृतिका सिंह)**	तहसील इटारसी	1— नियमित व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन 1/— से 5,00,000/— तक हो। 2— लघुवाद मामले जिनका मूल्यांकन 100/— तक हो। 3— नियमित व्यवहार वाद तथा लघुवाद मामलों से उत्पन्न विविध न्यायिक वाद तथा निष्पादन मामले। 4— ऐसे समस्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, इटारसी के न्यायालय जो वर्तमान में कार्यरत नहीं हैं एवं पूर्व में

			कार्यरत थे। उन समस्त न्यायालयों द्वारा निराकृत समस्त प्रकार के सिविल/आपराधिक प्रकरणों से उदभूत समस्त प्रकरणों एवं अपीलीय न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों का निराकरण। 5— जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर निराकरण हेतु सौंपा जावे।

6— आवश्यक कार्यों के निराकरण के संबंध में पेज क्रमांक 15 की कंडिका 5 एवं 6 विलोपित करते हुये पुनः कंडिका 5, 6 एवं 6 "अ" निम्नानुसार प्रतिस्थापित की जाती है :—

क0	अवकाश पर रहने वाले न्यायिक अधिकारी का नाम	कॉलम नं0 2 के न्यायिक अधिकारी के अवकाश पर रहने पर	कॉलम नं0 2 एवं 3 के न्यायिक अधिकारी के अवकाश पर रहने पर	कॉलम नं0 2,3 व 4 के न्यायिक अधिकारी के अवकाश पर रहने पर
5	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इटारसी	तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इटारसी	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इटारसी	तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद
6	तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इटारसी	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इटारसी	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इटारसी	तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद
6—अ	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इटारसी	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इटारसी	तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इटारसी	तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद

सही/—
(चन्द्रेश कुमार खरे)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
होशंगाबाद

पृ0क्र0 1526 / सां0लि0 / 2019 होशंगाबाद,दिनांक 15.11.2019

प्रतिलिपि :-

1- श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
02- विशेष न्यायाधीश,होशंगाबाद
03- प्रथम / द्वितीय / तृतीय अति0 जिला न्यायाधीश, होशंगाबाद / पिपरिया / सोहागपुर / इटारसी
04- प्रथम / द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, होशंगाबाद / इटारसी
05- प्रथम व्य0 न्यायाधीश वर्ग-1,होशंगाबाद के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, होशंगाबाद
06- प्रथम / द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, होशंगाबाद / पिपरिया / इटारसी
07- व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, सोहागपुर / सिवनी मालवा
08- व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, सिवनी मालवा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, सिवनी मालवा
09- व्य0 न्या0 वर्ग-1 इटारसी के न्यायालय के चतुर्थ अति0 न्यायाधीश, इटारसी
10- प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, पिपरिया के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, पिपरिया
11- अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, होशंगाबाद / इटारसी / पिपरिया / सिवनी मालवा / सोहागपुर
12- प्रस्तुतकार, सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद

15.11.19

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
होशंगाबाद